न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 55/2020 (प्रा0प0)
दायर दिनांक :– 02/09/2020
निर्णय दिनांक :– 27/01/2021

अनवान

1. श्री विनोद पिता रमेशचन्द्र हरिजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. श्री प्रहलाद पिता रमेशचन्द्र हरिजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रमेशचन्द्र पिता मिठुलाल हरिजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. श्री दिपक पिता रमेशचन्द्र हरिजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. श्री ललीता पिता रमेशचन्द्र हरिजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. श्रीमति बेबी पत्नि जीतु चावरिया पिता रमेशचन्द्र हरिजन निवासी दरीबा हाल रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. श्रीमति मांगीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र हरिजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. अनिता पत्नि नैतराम चावरिया पिता रमेशचन्द्र हरिजन निवासी रेलमगरा हाल चिकारडा तहसील भदेसर
7. उपपंजीयक रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने एक मूल वाद बाबत् स्थाई एवं आदेशात्मक, निर्देशात्मक निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व सच्चे एवं ठोस आधारों पर आप न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थी को अपुर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नगदी में सम्भव नही होगी व प्रार्थीगण अपने हक अधिकारों से वंछित हो जायेगा। इसके विपरीत विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की अवस्था में किसी भी प्रकार की क्षति कारित नही होगी। प्रार्थी एवं

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

विपक्षीगण संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा में आराजी नम्बर 3744/2213 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा स्व. गिठालाल के जीवनकाल में ही संयुक्त आमदनी से खरीदी गई तथा विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगण के पिता है एवं विपक्षी संख्या 02 से 04 सौतेले भाई बहिन व विपक्षी संख्या 05 सौतेली माता एवं विपक्षी संख्या 06 वादीगण की सगी बहन है किन्तु वह अभी वादीगण के साथ उपस्थित नही होने से परफोरमा प्रतिवादी बनाया गया है। विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थीगण की माता सीता देवी के जीवनकाल में ही विपक्षी संख्या 05 से दुसरा विवाह कर लिया। जिससे दुसरा विवाह हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत शुरू से अवैधा था क्योंकि दुसरा विवाह करते वक्त विपक्षी संख्या 01 की पूर्व विवाहिता पत्नि जीवित थी तथा उनका विधिक रूप से विवाह विच्छेद भी नही हुआ था एवं एक जीवित पत्नि के रहते दुसरा विवाह शुरू से शुन्य होता है। विपक्षी संख्या 01 के द्वारा दुसरा विवाह करने के करीब 7–8 पश्चात् प्रार्थीगण की माता का स्वर्गवास हो गया तब से प्रार्थीगण अपने दादा के साथ निवास कर रहे थे। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 01 भी उनके साथ आकर निवास करने लग गये। विपक्षी संख्या 01 से विपक्षी संख्या 02 से लगायत 04 तक अधर्मज सन्तान उत्पन्न हुई एवं वर्ष 2009 में प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु होने के पश्चात् विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 के मन में बईमानी उत्पन्न हो गई एवं प्रार्थीगण को ऐन केन प्रकरेण उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करने से उतारू हो गये। जिस एवज में उनके द्वारा पूर्व में भी कृषि भूमि विक्रय कर दिया जबकि विपक्षी संख्या 01 को पिछले कई वर्षो से रूपयों की कोई विधिक आवश्यकता नही पडी। विपक्षी संख्या 01 वर्ष, 1993 के पूर्व दरीबा माईन्स में नौकरी कर रहे थे एवं वीआरएस लेने के पश्चात् पंचायतों में हड्डियां इकट्टा करने का ठेका ले रहे है, जिसमें प्रार्थीगण पूर्णरूप से उनके साथ मेहनत मजदुरी करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 02 से लगायत 05 तक विपक्षी संख्या 01 को प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को उनके नाम पर विक्रय पत्र निष्पादित कराने हेतु उकसाते है ताकि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 06 अपने हक अधिकारों से वंचित हो सकें। विधि का यह सु–स्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष रूप से कानून में गलत है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से कानून का सहारा लेकर अवैध कार्य नही कर सकते है, फिर भी विपक्षी संख्या 02 से लगायत 04, विपक्षी संख्या 01 की अधर्मज सन्ताने है, जिससे उनको पिता की अचल

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

सम्पत्तियों में चाहे यह सम्पत्तियां स्वअर्जित हो अथवा पैतृक हो उनका कोई हक अधिकार निहित नही होता है केवल मात्र उनके अव्यस्क रहने तक भरण पोषण की राशि का ही अधिकार होता है। विपक्षी संख्या 01 के द्वारा पूर्व में रेलमगरा की कृषि भूमि जो कांकरोली रोड में दक्षिण दिशा की ओर विद्यानिकेतन स्कुल के पिदे वादग्रस्त कृषि भूमि के नजदीक विक्रय की गई तब भी प्रार्थीगण के द्वारा आपत्ति की गई किन्तु तब विपक्षीगण ने आश्वस्त किया कि अन्य कृषि भूमि जो उसी के पास स्थित है उसे विक्रय नही करेगें एवं यदि करते है तो उसकी पूर्ण किमत प्रार्थीगण को सिपुर्द कर देगें तब से प्रार्थीगण के आधिपत्य में ही चले आ रहे है किन्तु प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में कृषि भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर होने से उन्हे विपक्षी संख्या 02 से 05 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर अन्तरण करने पर आमादा है ताकि प्रार्थीगण अपने वैध अधिकारों से वंछित रह सकें। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का ही आधिपत्य चला आ रहा है। केवल मात्र विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में ही निष्पादित है इसी कारण उनके मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई है कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 02 से लगायत 05 के पक्ष में अथवा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में विक्रय करने पर आमादा है जिसे न्यायहित में रूकवाया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नगदी में संभव नही है एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी, प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 06, विपक्षी संख्या 01 के धर्मज सन्ताने है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है। दौराने वाद विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 वादग्रस्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर दे अथवा विपक्षी संख्या 02 से लगायत 05 तक के पक्ष में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर देते है तो उन्हे वापस शुन्य व बेअसर आज्ञापक आज्ञप्ति के जरिये पूर्ववत स्थिति के आदेश प्रदान किये जावें। विपक्षी संख्या 07 उपपंजीयक रेलमगरा राज्य सरकार के प्रतिनिधि है किन्तु उन्हे धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र दिये बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि यदि 60 दिवस का सूचना पत्र दिया गया तो तब तक विपक्षीगण विक्रय पत्र निष्पादित करवा देगें। जिससे प्रार्थीगण का वाद पत्र प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा, जिससे प्रकरण अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने से राज्य सरकार को बिना सूचना पत्र दिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस हेतु न्यायालय आप से धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण का वाद हेतुक

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 तक में वादग्रस्त भूखण्ड उनके पक्ष में अन्तरण करने दिनांक 17/08/2020 को धमकी दी तब से प्रार्थीगण का वाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 01, विपक्षी संख्या 02 से लगायत 05 के पक्ष में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नही करें एवं विपक्षी संख्या 07 भी उक्त आराजीयात के संबंध में विक्रय पत्र पेश होने पर पंजीयन नही करें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दावा पेश करना स्वीकार है लेकिन मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से दावा/प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण गलत होकर असवीकार है। क्योकि प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही होकर सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिये प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति कारित नही होकर विपक्षीगण को होने की सम्भावना है। इसके विपरित प्रार्थीगण को कोई क्षति कारित नहीं होगी। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित आराजी संख्या3744/2213 रकबा 0.3237 हेक्टयर भूमि जो कि विपक्षी संख्या 01 रमेशचन्द्र के स्वअर्जित सम्पत्ति है इसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या1एक के संयुक्त खातेदारी की जमीन नहीं होकर विपक्षी संख्या 01 रमेशचन्द्र की एकल स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजीयात् भूमि है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण के दादाजी स्वर्गीय मिठालाल जी के जीवनकाल में संयुक्त आमदनी से उक्त आराजीयात् विपक्षी संख्या 01 द्वारा नही खरीदी गई। बल्कि दिनांक 24/06/1993 को तत्कालिन खातेदार गोपीलाल पिता ताराचन्द जी नायक से जरिये विक्रय पत्र से क्रय की गई जिसका नामान्तरण संख्या 1577 तस्दीक होकर विपक्षी संख्या 01 के नाम पर उक्त आराजीयात् आई जिसके बट्टा नम्बर 2213/1 पडा उसके पश्चात् विक्रम सम्वत् 2057 की जमाबंदी सं0. 1090 में बट्टा नम्बर 2213/1

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

थे वो बदलकर 3744/2213 हुये, वर्तमान् में भी आराजी नम्बर 3744/2213 है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् वादी संख्या01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। शेष ईबारत प्रार्थीगण स्वयं साबित करावें। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या06 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या01 के द्वारा कोई दुसरा विवाह नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का पालन पोषण विपक्षी संख्या01 के द्वारा ही किया गया और प्रार्थीगण अपने दादा के साथ निवास नहीं कर रहे है। प्रार्थी संख्या01 विनोद की शादी श्रीनगर बाबुलाल जी रील के यहां कराई, दोनो पति पत्नि के बिच में बिगाड हो गया तो मुकदमेबाजी हुई फिर समाज से फैसला हुआ, फिर दुसरा विवाह पुनः शाहपुरा कराया जिससे विनोद प्रार्थी संख्या01 जो कि एस.के. माईन्स में माईनिंग में कार्यरत है और उसकी पत्नि प्रतिभा सरकारी अध्यापिका है। विपक्षी संख्या 02 की शादी सिहंपुर बाबुलाल जी गारू के यहां कराई थी और प्रहलाद को मेरे द्वारा जमीन में 20 फीट चौडा, 40 फीट लम्बा प्लॉट दे रखा है जिसमें मकान बनाकर रह रहा है। प्रहलाद जावर माईन्स मील में काम करता है और प्रहलाद की पत्नि सिंहपुर गांव में बैक ऑफ बडौदा में सफाई का कार्य करती है स्थाई रूप से कार्यरत है। इसलिये प्रार्थीगण का भरण पोषण विपक्षी संख्या 01 द्वारा किया गया, वादीगण को पाल पोस कर बडा कर नौकरी विपक्षी संख्या 01 द्वारा लगाई गई। विपक्षी संख्या01 की नौकरी 1976 दरिबा माईन्स में लगी और दिनांक 31/10/1994 को वीआरएस ले लिया और वीआरएस के समय 1,90,000/– रूपये ही मिले थे उस पैसो से विपक्षी संख्या 01 द्वारा हड्डीयो का ठेका लेने लगा और एक 407 गाडी खरीदी गई जिससे अपना घर गुजारा और परिवार का पालन पोषण करता था और प्रार्थीगण को पढा लिखाकर नौकरी योग्य बनाया। लेकिन सन् 2005 में विपक्षी संख्या 01 का एक्सीडेन्ट हो गया और एक्सीडेन्ट में एक पैर, एक हाथ टुट गया और विपक्षी संख्या 01 अपना भरण पोषण व अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गया और पैसो का कर्जा भी हो गया, इसके विपरित प्रार्थीगण के नौकरी होने के बावजुद भी विपक्षी संख्या 01 का कोई भरण पोषण नहीं किया जा रहा है न ही कोई सार संभाल, सेवा चाकरी की जा रही है। इसलिये प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 से अदावट रखने की वजह से और जमीन हडपने के आशय से उक्त मिथ्या तथ्यों पर आधारित मुकदमा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। विपक्षी संख्या01 की उम्र 62 वर्ष है और किसी भी तरह का कार्य करने में असमर्थ है। इस कारण से उक्त जमीन विक्रय करनी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

पडी। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 का विवरण गलत होकर स्वीकार है। क्योकि विपक्षी संख्या 02 से लगायत 04 विपक्षी संख्या01 की अधर्मज संताने नहीं है। इसलिये विपक्षी संख्या 01 की चल अचल सम्पत्तियां जो पैतृक हो उसमें हक अधिकार बनता है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित आराजीयात् विपक्षी संख्या01 के नाम की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिससे विपक्षी संख्या 01 के द्वारा दिनांक 26/08/2020 को नानालाल पिता बिहारीलाल खटीक निवासी रेलमगरा तथा भैरूशंकर पिता चुन्नीलाल रेगर निवासी रेलमगरा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित आराजीयात् पर प्रार्थीगण का व विपक्षीगण का कोई आधिपत्य नहीं है। बल्कि विपक्षी संख्या 01 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये नानालाल पिता बिहारीलाल खटीक और भैरूशंकर पिता चुन्नीलाल जी रेगर को विक्रय कर देने से उक्त आराजीयात् पर नानालाल व भैरूलाल रेगर का स्वामित्व आधिपत्य है और नानालाल व भैरूलाल ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षी संख्या 01 का व प्रार्थीगण का उक्त भूमि संबंधित कोई लेना देना नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि विपक्षी संख्या 01 के द्वारा उक्त आराजीयात् का विक्रय पत्र दिनांक 26/08/2020 को नानालाल व भैरूशंकर के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है अगर अवैध व शुन्य हो तो आप न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय पत्र को शुन्य व बेअसर घोषित नहीं किया जा सकता है उसका क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है न कि आप न्यायालय को। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 12 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि अगर राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उसकी प्रतिनिधित्व जिला कलेक्टर करता है इसलिये इस वाद/प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 07 के रूप में उप पंजीयक रेलमगरा को पक्षकार बनाया गया है जिससे स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि धारा 80 के तहत उप पंजीयक राज्य सरकार के अधिन कार्य करता है और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जिला कलेक्टर करता है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र में जिला कलेक्टर भी पक्षकार बनना अतिआवश्यक है। बिना जिला कलेक्टर को पक्षकार बनाये प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्ध है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 13 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी का कोई प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की प्रार्थना मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। साथ ही विशेष कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा आप न्यायालय में वाद बाबत् स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसके साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा के आराजी संख्या 3744/2213 रकबा 0–3237 हेक्टयर कृषि भूमियों के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की चाही गई कि विपक्षी संख्या01 विपक्षी संख्या02 से लगायत 05 के पक्ष में अथवा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करे न ही प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग से वंचित करे। उपरोक्त वर्णित अनुतोष का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया है। जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो मिथ्या तथ्यों पर आधारित है और विधि विरूद्ध है क्योंकि विपक्षी संख्या01 के द्वारा उक्त आराजीयात् अर्थात् आराजी संख्या 3744/2213 को दिनांक 24/06/1993 को तत्कालिन खातेदार गोपीलाल पिता ताराचन्द नायक से जरिये विक्रय पत्र से क्रय की जिसका नामान्तरकरण संख्या 1577 तस्दीक होकर विपक्षी संख्या01 के नाम पर उक्त आराजीयात् आई। जिसके बट्टा नम्बर 2213/1 पडा उसके पश्चात् विक्रम सम्वत् 2057 की जमाबंदी संख्या 1090 में जो बट्टा नम्बर 2213/1 थे वो बदलकर 3744/2213 हुये जो वर्तमान् में भी आराजी संख्या 3744/2213 है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी संख्या01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिये विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा अर्जित की गई सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बह, बक्षीश कर सकता है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 3744/2213 के बारे में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वो विधि विरूद्ध है क्योंकि विपक्षी संख्या01 द्वारा उक्त आराजीयात् क्रय की है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें। विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजीयात् को दिनांक 26/08/2020 को केता नानालाल पिता बंशीलाल खटीक निवासी रेलमगरा, भैरूशंकर पिता चुन्नीलाल जी जाति रेगर निवासी रेलमगरा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आराजी संख्या 3744/2213 का सम्पूर्ण रकबा विक्रय कर दिया है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसका अब कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अब कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से वाद खारिज होने योग्य है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि

विरूद्ध होने से एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से, प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में बकुलाय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने 2011 3RLW(SC)2547; 2011 0 Supereme (Raj) 286; & 2009 2KCCR 1280; 2008 0 Supereme (Kar) 743; नजीरे पेश की। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह सिद्व हो की उक्त वादग्रस्त भूमि उनकी पैतृक सम्पत्ति हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 01 द्वारा कय की जाकर स्वअर्जित की गयी सम्पत्ति है। वैसे भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पैतृक सम्पत्ति में विधिक वारिसान का हक अधिकार होना निहित कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में कानून अपना हक अधिकार होना सिद्व करने में असफल रहे है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में कानून अपना हक अधिकार होना सिद्व करने में असफल रहने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
स्लमगरा